


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:- F 7(4) म.पर्य./पुन. प्रशिक्षण/आईसीडीएस/17 35744

जयपुर दिनांक 28-2-18

कार्यालय आदेश


वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रशिक्षण कलैण्डर के तहत महिला पर्यवेक्षकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु आदेश क्रमांक 33419 दिनांक 26.02.2018 के द्वारा दिनांक 05.03.2018 से 11.03.2018 तक प्रशिक्षण हेतु जिला जयपुर, झुन्झुनू, जोधपुर व सवाईमाधोपुर जिले की महिला पर्यवेक्षकों को नामांकित किया गया था। परन्तु अपरिहार्य कारणों से दिनांक 05.03.2018 से 11.03.2018 तक बैच निरस्त करके दिनांक 12.03.2018 से 18.03.2018 तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटित किया जाता है। महिला पर्यवेक्षकों का नामांकन यथावत् रहेगा।

  
उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- F 7(4) म.पर्य./पुन. प्रशिक्षण/आईसीडीएस/1735745-66 जयपुर दिनांक 28-2-18

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्राचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
2. सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, .....
3. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी,.....
4. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को लेख है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

  
उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।